राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1149 / 2008 / अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत, अलवर। ....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स दीपक बैजप्रो प्रा0लि0, अलवर। ....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक। ....अपीलार्थी की ओर से

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक। ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05 .09.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 50 / उपा–भरत / 07–08 / आरएसटी में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 28.09.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अलवर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2007 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 29 के तहत कायम कर रूपये 5,71,154 / – तथा धारा 58 के तहत ब्याज रूपये 1,24,298 / – को अपास्त कर प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की है तथा टर्न ओवर टैक्स के बिन्दु पर अन्तर्राज्यीय बिक्री को कम किया जाकर कर एवं ब्याज में संशोधन किये जाने के निर्देश देते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कम्पनी की मूल इकाई के रूप में दिनांक 30.03.1999 से प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत खाद्य तेल व खल पर दिया गया लाभ 31 मार्च 2003 से पूर्व उपभोग कर लिया गया। इस कम्पनी ने विविधकरण के तहत एक अन्य इकाई स्थापित की जिसमें खाली टिन, जार, बोतल का निर्माण कर विक्रय प्रारम्भ किया जिसका छानबीन समिति ने दिनांक 17.03.2001 से 11 वर्ष के लिये पैकिंग मैटेरियल टिन कंटेनर्स, फोम पैट बोटल्स, पैट जार पोलीजार के उत्पादन को बिक्री करमुक्ति के लिए स्वीकृत किया गया। समिति की उक्त बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र अलवर ने पत्रांक 469 दिनांक 07.06.2001 में इकाई द्वारा निर्मित उत्पाद में एडिबल ऑयल एण्ड ऑयल केक भी जोड दिया गया जबकि विविधकृत इकाई को समिति ने सिर्फ पैकिंग मैटेरियल के उत्पाद पर लाभ स्वीकृत किया गया था। इसके अनुसरण में इकाई को दिनांक 11.06.2002 को खाली टिन जार बोतल एवं बोतल फिलिंग उत्पाद बताते हुए कर मुक्ति प्रमाण पत्र संख्या 1 / 51 जारी किया गया। इस प्रमाण पत्र के बाद इकाई द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग में ज्ञापन दिया जिसके क्रम में मुख्यालय के पत्रांक प.16(60) / (60) 1 विविध / आयुक्त / कर / विविध 04 / 2471 दिनांक 19.06.2004 के द्वारा स्पष्ट किया कि

लगातार..........2

डी.एल.एस.सी. द्वारा जारी स्वीकृति पत्र दिनांक 07.06.2001 के अनुसार इकाई को खाद्य तेल, खल, खाली टिन, जार व बोतल फिलिंग वस्तुओं के निर्माण कर विक्रय किये जाने पर 1998 की योजना के अंतर्गत लाभ स्वीकृत किये गये हैं। अतः उपरोक्त स्वीकृति के आधार पर इकाई बोतल फिलिंग (स्वयं द्वारा निर्मित खाद्य तेल) पर योजना के अन्तर्गत लाभ की पात्र है। इस पत्र के आधार पर कर मुक्ति प्रमाण पत्र में दिनांक 08.07.2004 को इन्द्राज किया गया। इसमें कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश में इस प्रकार वर्णन किया है " श्रीमान उपायुक्त (प्रशासन) अलवर के पत्रांक 3788 दिनांक 08.07.2004 एवं श्रीमान् वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रथम, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 2471 दिनांक 19.06.2004 द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में क्रम सं. 8-डी शब्द बोतल फिलिंग के आगे कोष्ठक में (स्वयं द्वारा निर्मित खाद्य तेल) जोडा जाता है।" मुख्यालय से प्रासांगिक पत्र के क्रम में तथा कर मुक्ति प्रमाण पत्र में इसका इन्द्राज करवाने के बाद इस विविधकृत इकाई ने जिसमें सिर्फ पैंकिग मैटेरियल का निर्माण होता है से कम्पनी की मूल इकाई के निर्मित खाद्य तेल को टिन व बोतलों में भरकर तेल की बिक्री पर भी लाभ लेना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार विविधकृत ईकाई को दिये गये लाभ का उपयेाग मूल ईकाई से उत्पादित तेल पर (आर.एस.टी. एवं सी.एस.टी. की बिक्री पर) गलत तरीके से प्राप्त कर लिया। इस प्रकरण का पुनः श्रीमान् आयुक्त महोदय के परिज्ञान में लाया गया। ईकाई को मुख्यालय द्वारा पूर्ण अवसर दिया जाकर श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त (कर) ने पत्र दिनांक 25.08.05 द्वारा आदेश जारी किये कि जिलास्तरीय छानबीन समिति का निर्णय दिनांक 28.05.01 अब तक अपरिवर्तित अप्रभावित एवं असंशोधित रूप से अस्तित्व में हैं। छानबीन समिति द्वारा बाद में दिनांक 19.02.2005 को आयोजित बैठक में अपने पूर्व निर्णय दिनांक 28.05.01 को लिए गए निर्णय की ही पुष्टि की है जो इस प्रकरण में विवादित नहीं है। छानबीन समिति द्वारा सदस्य सचिव के पत्र क्रमांक 469-470 की पुष्टि नहीं की है, जो कि इस प्रकरण में विवादित नहीं है। महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र अलवर के पत्रांक 469-70 दिनांक 07.06.01 मे जिला स्तरीय छानबीन समिति के निर्णय का सही निरूपण नहीं किया गया तथा इस आधार पर आयुक्त वाणिज्यिक कर के निर्देशानुसार जारी किये गये वाणिज्यिक कर अधिकारी के पत्र दिनांक 19.06.04 में खाद्य तेल, खल एवं बोतल फिंलिग (स्वयं द्वारा निर्मित खाद्य तेल) वस्तुओं का गलत उल्लेख हुआ जो विधिअनुरूप अनुचित है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जारी किये गये वाणिज्यिक कर अधिकारी (कर प्रथम) जयपुर के पत्र क्रमांक प.16 (60) 164 (1) पार्ट 1/विविध/04/2471-72 दिनांक 19.06.04 से उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर अलवर को जारी पत्र जिसकी एक प्रति मै. दीपक बैजप्रोज प्रा.लि. अलवर को पृष्ठांकित की गई थी उसे एतद् दिनांक 19.06.04 से निरस्त कर Withdraw किया गया है। श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त (कर) के उक्त आदेश के अनुसरण में कम्पनी की विविधकृत इकाई को जारी कर मुक्ति प्रमाण पत्र में संशोधन किया जाकर कम्पनी को धारा 28-58 में नोटिस जारी किया गया। कम्पनी द्वारा नोटिस का न तो जबाव पेश किया और ना ही विवरण पेश किया। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने चैकपोस्ट से बिल प्राप्त कर पैंकिग मैटेरियल की बिक्री को विभाजित किया गया। उक्त अवधि में राज्य के अन्दर बिक्री रूपये 1,71,59,493/- एवं अन्तर्राज्यीय बिक्री रूपये 10,86,38,341/- की सरसों के तेल की उक्त योजना के तहत की है। जिस पर कम्पनी ने पैकिंग मैटेरियल के साथ मूल इकाई द्वारा निर्मित खाद्य तेल की बिक्री पर भी कर मुक्ति लाभ का उपयोग किया गया। जिसमें पैकिंग मैटेरियल 4.90 प्रतिशत की दर से

आरएसटी में रूपये 1,63,18,678/- पर बिक्री कर प्रोत्साहन योजना विविधकरण के तहत कर मुक्ति लाभ देय नहीं था उक्त बिक्री पर व्यवहारी ने 5 प्रतिशत के स्थान पर 1.50 प्रतिशत कर चुकाया। अतः बिक्री पर 3.50 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर रूपये 5,71,154/- आरोपित किया गया तथा बकाया रहने के कारण ब्याज धारा 58 के तहत रूपये 1,24,298/- आरोपित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करके आरोपित मांग राशियों को अपास्त कर दिया एवं टर्न ओवर टैक्स के लिए टर्न ओवर में से अन्तर्राज्यीय बिक्री को कम किया जाकर कर एवं ब्याज में संशोधन किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज की जाकर रिकॉर्ड व प्रत्यर्थी को तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी ने गलत रूप से प्रोत्साहन योजना का लाभ लिया है क्योंकि प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल पैंकिग मैटेरियल पर ही देय था जबकि प्रत्यर्थी ने खाद्य तेल पर भी लाभ प्राप्त किया है जो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय नहीं था क्योंकि मूल ईकाई ने प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत खाद्य तेल पर लाभ पूर्व में ही ले लिया था जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। विविधकृत ईकाई को विविधकृत माल पर ही प्रोत्साहन योजना का लाभ देय था। अपीलीय अधिकारी ने यह मानकर निर्णय पारित किया है कि एक बार लाभ देकर उसे वापिस नहीं लिया जा सकता जबकि Distric Level Screening Committee द्वारा पैंकिग मैटेरियल पर ही लाभ दिया गया था जिसमें संशोधन या सुधार या स्पष्टीकरण डी.एल.एस.सी द्वारा ही किया जा सकता था। अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत नहीं हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश यथावत रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक व्यवहारी ने कथन किया कि जिला स्तरीय छानबीन समिति ने खाद्य तेल एवं खल की बिक्री को विस्तार में कर मुक्ति छूट स्वीकार की तथा आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कर मुक्ति प्रमाण पत्र में जोडा गया। उपायुक्त (प्रशासन) अलवर ने आयुक्त महोदय को पुनः लिखकर दिनांक 19.06.04 से लाभ वापस ले लिया जो 2006 में पूर्व दिनांक 19.06.04 से Withdraw नहीं किया जा सकता। सक्षम अधिकारी कर मुक्ति आदेश को कर मुक्ति लाभ योजना 1998 के प्रावधान 7 के तहत समय सीमा के रहते Review कर सकता है। इस प्रकरण मे यह समय सीमा (अपील दायर करने की) तीन माह है अतः अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा आदेश दिनांक 19.06.04 से तीन माह के अन्दर जारी किया जा सकता था। आयुक्त महोदय कर मुक्ति लाभ योजना के तहत स्वयं न तो कर मुक्ति लाभ प्रदान कर सकते है और ना ही उसको वापिस ले सकते है। यह अधिकार जिला स्तरीय छानबीन समिति या राज्य स्तरीय छानबीन समिति के पास सुरक्षित है। अतः कोई भी संशोधन उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है। जब तक कर मुक्ति लाभ प्रमाण पत्र मे उल्लेखित कर मुक्ति लाभ राशि में संशोधन नहीं किया जाता तब तक बोतल फिंलिंग प्रविष्टि को हटाना अनुचित एवं

नैसर्गिक न्याय के अनुरूप नहीं होगा। जिला स्तरीय छानबीन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय को श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त (कर) वाणिज्यिक कर जयपुर द्वारा अपने आदेश में भी यह नहीं कहा है कि कर मुक्ति लाभ प्रमाण पत्र संख्या 1/51 दिनांक 11.06.02 में से बोतल फिंलिग प्रविष्टि को हटाना है। वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा आदेश छानबीन समिति के आदेश का उल्लघंन हैं जब व्यवहारी कम्पनी द्वारा बोतल फिंलिग मशीन पर विनियोजन किया गया है जिसे जिलास्तरीय छानबीन समिति की मींटिग दिनांक 28.05.01 के ऐजेण्डा में मान्य विनियोजन के रूप में रखा गया। उसे समिति ने स्वीकृत किया है अब चार वर्ष बाद बोतल फिलिंग (स्वयं द्वारा निर्मित खाद्य तेल) को कर मुक्ति लाभ प्रमाण पत्र में से हटाने का कोई अधिकार अधिकारी का नही है। अतिरिक्त आयुक्त महोदय के पत्र क्रमांक 2471—72 दिनांक 19.06.04 को निरस्त किया है जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने इस पत्र का गलत अर्थ निकाल कर कर मुक्ति प्रमाण पत्र को दिनांक 17.03.01 से ही संशोधित कर दिया है। यद्यपि कानूनन जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय कर जयपुर व वाणिज्यिक कर अधिकारी महोदय विशेष वृत अलवर का बदलने की इजाजत नहीं देता है अगर यह भी मान लिया जावे कि समिति के निर्णय को बदला जा सकता है तो इस निर्णय का भूतलक्षी प्रभाव से नहीं बदला जा सकता है। इन्होंने अपने समर्थन में एस.बी. सेल्स टैक्स रिविजन पिटीशन नम्बर 81/2009 डी.एल.सी.सी बनाम सिघांनिया ऑयल मिल्स व सम्बन्धित मामलों में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बैंच जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.2016 एस.बी.सेल्स टैक्स रिविजन पिटीशन नम्बर 218/2009 में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बैंच जयपुर निर्णय दिनांक 15.12.2016 एसटीसी वोल्यूम 119 पेज 15 बिडला जूट एण्ड इण्ड. बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2000, टैक्स अपडेट वोल्यूम 18 पार्ट 2 पेज 67, एसटीसी वोल्यूम 110 पेज 109, एसटीसी वोल्यूम 113 पेज 361, एसटीसी वोल्यूम 128 पेज 587, टैक्स वर्ल्ड वोल्यूम 21 पेज 162, 2002 (139) ई.एल.टी. 3 (एस.सी.) पेज 3, एसटीसी वोल्यूम 122 पेज 100 व टैक्स अपडेट वोल्यूम 37 पार्ट 7 पेज 13 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

3. अपील दर्ज की जाकर रिकॉर्ड व प्रत्यर्थी को तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी ने गलत रूप से प्रोत्साहन योजना का लाभ लिया है क्योंकि प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल पैंकिग मैटेरियल पर ही देय था जबकि प्रत्यर्थी ने खाद्य तेल पर भी लाभ प्राप्त किया है जो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय नहीं था क्योंकि मूल ईकाई ने प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत खाद्य तेल पर लाभ पूर्व में ही ले लिया था जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। विविधकृत ईकाई को विविधकृत माल पर ही प्रोत्साहन योजना का लाभ देय था। अपीलीय अधिकारी ने यह मानकर निर्णय पारित किया है कि एक बार लाभ देकर उसे वापिस नहीं लिया जा सकता जबकि Distric Level Screening Committee द्वारा पैंकिग मैटेरियल पर ही लाभ दिया गया था जिसमें संशोधन या सुधार या स्पष्टीकरण डी.एल.एस.सी द्वारा ही किया जा सकता था। अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत नहीं हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश यथावत रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक व्यवहारी ने कथन किया कि जिला स्तरीय छानबीन समिति ने खाद्य तेल एवं खल की बिक्री को विस्तार में कर मुक्ति छूट स्वीकार की तथा आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कर मुक्ति प्रमाण पत्र में जोडा गया। उपायुक्त (प्रशासन) अलवर ने आयुक्त महोदय को पुनः लिखकर दिनांक 19.06.04 से लाभ वापस ले लिया जो 2006 में पूर्व दिनांक 19.06.04 से Withdraw नहीं किया जा सकता। सक्षम अधिकारी कर मुक्ति आदेश को कर मुक्ति लाभ योजना 1998 के प्रावधान 7 के तहत समय सीमा के रहते Review कर सकता है। इस प्रकरण मे यह समय सीमा (अपील दायर करने की) तीन माह है अतः अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा आदेश दिनांक 19.06.04 से तीन माह के अन्दर जारी किया जा सकता था। आयुक्त महोदय कर मुक्ति लाभ योजना के तहत स्वयं न तो कर मुक्ति लाभ प्रदान कर सकते है और ना ही उसको वापिस ले सकते है। यह अधिकार जिला स्तरीय छानबीन समिति या राज्य स्तरीय छानबीन समिति के पास सुरक्षित है। अतः कोई भी संशोधन उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है। जब तक कर मुक्ति लाभ प्रमाण पत्र मे उल्लेखित कर मुक्ति लाभ राशि में संशोधन नहीं किया जाता तब तक बोतल फिंलिंग प्रविष्टि को हटाना अनुचित एवं नैसर्गिक न्याय के अनुरूप नहीं होगा। जिला स्तरीय छानबीन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय को श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त (कर) वाणिज्यिक कर जयपुर द्वारा अपने आदेश में भी यह नहीं कहा है कि कर मुक्ति लाभ प्रमाण पत्र संख्या 1/51 दिनांक 11.06.02 में से बोतल फिंलिग प्रविष्टि को हटाना है। वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा आदेश छानबीन समिति के आदेश का उल्लघंन हैं जब व्यवहारी कम्पनी द्वारा बोतल फिंलिग मशीन पर विनियोजन किया गया है जिसे जिलास्तरीय छानबीन समिति की मींटिग दिनांक 28.05.01 के ऐजेण्डा में मान्य विनियोजन के रूप में रखा गया। उसे समिति ने स्वीकृत किया है अब चार वर्ष बाद बोतल फिलिंग (स्वयं द्वारा निर्मित खाद्य तेल) को कर मुक्ति लाभ प्रमाण पत्र में से हटाने का कोई अधिकार अधिकारी का नही है। अतिरिक्त आयुक्त महोदय के पत्र क्रमांक 2471-72 दिनांक 19.06.04 को निरस्त किया है जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने इस पत्र का गलत अर्थ निकाल कर कर मुक्ति प्रमाण पत्र को दिनांक 17.03.01 से ही संशोधित कर दिया है। यद्यपि कानूनन जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय कर जयपुर व वाणिज्यिक कर अधिकारी महोदय विशेष वृत अलवर का बदलने की इजाजत नहीं देता है अगर यह भी मान लिया जावे कि समिति के निर्णय को बदला जा सकता है तो इस निर्णय का भूतलक्षी प्रभाव से नहीं बदला जा सकता है। इन्होंने अपने समर्थन में एस.बी. सेल्स टैक्स रिविजन पिटीशन नम्बर 81/2009 डी.एल.सी.सी बनाम सिघांनिया ऑयल मिल्स व सम्बन्धित मामलों में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बैंच जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.2016 एस.बी.सेल्स टैक्स रिविजन पिटीशन नम्बर 218/2009 कार्मिसयल टैक्स अधिकारी बनाम मै0 मारुतीनंदन टैक्सटाइल्स लिमिटेड, खैरथल में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बैंच जयपुर निर्णय दिनांक 15.12.2016 एसटीसी वोल्यूम 119 पेज 15 बिडला जूट एण्ड इण्ड. बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2000, टैक्स अपडेट वोल्यूम 18 पार्ट 2 पेज 67, एसटीसी वोल्यूम 110 पेज 109, एसटीसी वोल्यूम 113 पेज 361, एसटीरी वोल्यूम 128 पेज 587, टैक्स वर्ल्ड वोल्यूम 21 पेज 162, 2002 (139) ई.एल.टी. 3 (एस.सी.) पेज 3, एसटीसी वोल्यूम 122 पेज 100 व टैक्स अपडेट वोल्यूम 37 पार्ट 7 पेज 13 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

लगातार.........6

इन्होनें यह भी कथन किया कि रिमाण्ड प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 25.11.2009 को निर्णय पारित किया जा चुका है, जिससे यह अपील निष्प्रभावी हो चुकी है।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहन पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. विचाराधीन प्रकरण में कम्पनी की मूल इकाई को नयी इकाई के रूप में दिनांक 30.03.99 से प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत खाद्य तेल व खल पर 140.40 लाख रू जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसका उपभोग इकाई में 30 मार्च 2003 से पूर्व कर लिया। इस कम्पनी में विविधीकरण के अन्तर्गत एक अन्य इकाई अन्य इकाई स्थापित की जिसमे खाली टिन, जार, बोतल का निर्माण कर विक्रय प्रारम्भ किया। जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 28.05.2001 द्वारा इस इकाई को प्रोत्साहन योजना 1998 के अन्तर्गत विविधीकरण के अन्तर्गत 129.00 लाख रू का लाभ दिनांक 17.03.2001 से 11 वर्ष के लिय उक्त पैकिंग मैटेरियल टिन कन्टेनर्स, प्रि फार्म पेट बोटल्स, पेट जार, पोली जार के उत्पादन कर बिक्री के लिये स्वीकृत किया गया। समिति की उक्त बैठक के अनुसरण में महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र अलवर ने अपने पत्रांक 469 दिनांक 07.06.2001 में ईकाई द्वारा निर्मित उत्पादन में एडीबल ऑयल व ऑयल केक भी जोड़ दिया गया तथा दिनांक 11.06.2002 को खाली टिन, जार, बोतल एवं बोतल फिलिंग उत्पाद बताते हुये कर मुक्ति प्रमाण पत्र संख्या 1/51 जारी किया गया। इसके पश्चात् ईकाई द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को एक ज्ञापन दिया गया जिसके क्रम में मुख्यालय द्वारा पत्र क्रमांक प. 16(60) 164(1)विविध/आयुक्त/कर/विविध 04/2471 दिनांक 19.06.2004 जारी यिा, जिसमें इस ईकाई के उत्पाद के संबंध में जो स्थिति स्पष्ट की गई उसका विवरण इस प्रकार है :– "डी.एल.सी. द्वारा जारी स्वीकृत पत्र दिनांक 07.06.01 के अनुसार ईकाई को खाद्य तेल, खल, खाली टिन, जार व बोतल फिलिंग वस्तुओं के निर्माण कर विक्रय किये जाने पर 1998 की योजना के अन्तर्गत लाभ स्वीकृत किये गये है। अतः उपरोक्त स्वीकृति के आधार पर ईकाई बोतल फिलिंग (स्वयं द्वारा निर्मित खाद्य तेल) पर योजना के अन्तर्गत लाभ की पात्र है।" इस पत्र के आधार पर कर मुक्ति प्रमाण पत्र में दिनांक 08.07.04 का प्रविष्टियों का इन्द्राज किया गया उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :– "श्रीमान् उपायुक्त (प्रशासन) अलवर के पत्रांक कर/278 दिनांक 09.07.04 एंव श्रीमान् वा.क.अ. कर प्रथम, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक 2471 दिनांक 19.06.04 द्वारा दिए गये निर्देशों की पालना में क्रम संख्या 8डी शब्द बोतल फिलिंग के आगे कोष्ठक में (स्वयं द्वारा निर्मित खाद्य तेल) जोडा जाता है।" मुख्यालय के प्रसंगाकित पत्र के क्रम में तथा कर मुक्ति प्रमाण पत्र में इसका इन्द्राज करवाने के पश्चात इस विविधीकृत ईकाई ने, जिसमे सिर्फ पैकिंग मैटेरियल का निर्माण होता है। इस कम्पनी की मूल ईकाई के निर्मित खाद्य तेल को टिन व बोतलों में भरकर तेल की बिक्री पर भी लाभ लेना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार विविधीकृत ईकाई को दिए गए लाभ का उपयोग मूल ईकाई से उत्पादित तेल पर (आरएसटी एवं सीएसटी की बिक्री) गलत तरीके से प्राप्त कर लिया गया। इस प्रकरण को पुनः योग्य आयुक्त, महोदय के परिज्ञान में लाया गया।

लगातार..........7

मुख्यालय द्वारा ईकाई को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर अतिरिक्त आयुक्त (कर) ने पत्र क्रमांक प.16(60)विविध/आयुक्त/कर/विविध/ 98/1000—1003 दिनाक 25.08.05 द्वारा आदेश जारी किये गये कि जिला स्तरीय छानबीन समिति का निर्णय दिनांक 28.05.2001 अब तक अपरिवर्तित अप्रभावित एवं असंशोधित रूप से अस्त्तित्व में हैं। छानबीन समिति द्वारा बाद में दिनांक 19.02.05 को आयोजित बैठक में अपने पूर्व निर्णय दिनांक 28.05.01 को लिए गए निर्णय की ही पुष्टि की गई हैं जो कि इस प्रकरण में विवादित नहीं है। छानबीन समिति द्वारा सदस्य सचिव के पत्र क्रमांक 469—470 की पुष्टि नहीं की गई हैं जो कि इस प्रकरण में विवादित है। महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, अलवर के पत्र क्रमांक 469—470 दिनांक 07.06.01 में जिला स्तरीय छानबीन समिति के निर्णय का सही निरूपण नहीं किया गया तथा इस आधार पर आयुक्त, वाणिज्यिक के निर्देशानुसार जारी किए गए वाणिज्यिक कर अधिकारी (कर प्रथम) जयपुर के पत्र दिनांक 18.06.04 में खाद्य तेल, खल एंव बोटल फिलिंग (स्वयं द्वारा निर्मित खाद्य तेल) वस्तुओं का गलत उल्लेख हुआ जो कि विधि अनुरूप अनुचित है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के निर्देशानुसार वाणिज्यिक कर अधिकारी (कर प्रथम) जयपुर द्वारा क्रमाक प.16(60) 164(1) पार्ट—1/विविध/04/2471—72 दिनांक 19.06.04 से उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर अलवर को जारी पत्र जिसकी एक प्रति मैसर्स दीपक वेजप्रो प्रा. लि. अलवर का पृष्ठांकित की गई थी, उसे एतद् दिनांक 19.06.04 से निरस्त कर विद्ड्रा किया जाता है। अतिरिक्त आयुक्त (कर) के उक्त आदेश के अनुसरण में कम्पनी की विविधीकृत ईकाई को जारी कर मुक्ति प्रमाण पत्र में संशोधन किया जाकर कम्पनी का धारा 28/58 रा.बि.कर.अ. के तहत नोटिस दिनांक 09.09.05 के लिए जारी किया गया कि जिला स्तरीय छानबीन समिति अलवर की बैठक दिनांक 28.05.01 द्वारा आपको प्रोत्साहन योजना, 1998 के विविधीकरण के अन्तर्गत कर मुक्ति लाभ केवल टिन कन्टेनर्स, प्रि फोम पेट बोटल्स, पेट जार पोली जार पर ही स्वीकृत किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने कम्पनी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य तेल पर कर लगाया जाना प्रस्तावित किया तथा विधिवत सुनवाई करते हुये कर व ब्याज आरोपित किया है।

9. विचाराधीन प्रकरण में सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि प्रोत्साहन योजना 1998 में विविधीकृत प्रावधान के अन्तर्गत मूल ईकाई द्वारा उत्पादित उत्पाद के संबंध में क्या प्रावधान था। The Rajasthan Sales Tax / Central Sales Tax exemption scheme for industries - 1998 का बिन्दु संख्या 2 (सी) निम्न प्रकार है :—

2. Definitions. –

(c) "Diversification" means launching of a new and different product under the same company, partnership, firm, or undertaking with the help of new set of machines with the additional fixed capital investment exceeding 25% of value of the net fixed assets of the original project.

Explanation : The benefits under this Scheme for Diversification shall be admissible only on the new and different products.

लगातार.........8

उपरोक्त विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि **Diversification** का लाभ केवल **New and Different Products** पर ही देय है। खाद्य तेल एवं खल मूल ईकाई का उत्पाद था। इसका लाभ 31.03.2003 से पूर्व कम्पनी ने ले लिया था। विविधीकरण के अन्तर्गत पैकिंग मैटेरियल पर लाभ स्वीकृत करवाया गया है जिससे पैकिंग मैटेरियल पर ही लाभ देय था तथा मूल उत्पाद खाद्य तेल एवं खल पर कोई लाभ विधिक प्रावधानानुसार देय नहीं था।

10. अब इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि क्या सक्षम स्तर डी.एल.एस.सी पर खाद्य तेल एवं खल पर कम्पनी को लाभ स्वीकृत किया गया है या नहीं। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश से यह स्पष्ट है कि कम्पनी को विविधीकरण के अन्तर्गत जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 28.05.2001 के द्वारा पैकिंग मैटेरियल पर लाभ स्वीकृत किया गया है। समिति की बैठक दिनांक 19.02.2005 में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सक्षम स्तर पर खाद्य तेल एवं खल पर कम्पनी को कोई लाभ स्वीकृत नहीं किया गया है।

11. अब इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि क्या कोई ऐसा पत्र जारी हुआ है जिसका यह अर्थ निकलता हो कि कम्पनी को विविधीकरण से भिन्न उत्पाद खल व खाद्य तेल पर लाभ देय है। जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 28.05.2001 द्वारा इस इकाई को प्रोत्साहन योजना 1998 के अन्तर्गत विविधीकरण के अन्तर्गत 129.00 लाख रू का लाभ दिनांक 17.03.2001 से 11 वर्ष के लिय उक्त पैकिंग मैटेरियल टिन कन्टेनर्स, प्रि फार्म पेट बोटल्स, पेट जार, पोली जार के उत्पादन कर बिक्री के लिये स्वीकृत किया गया। समिति की उक्त बैठक के अनुसरण में महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र अलवर ने अपने पत्रांक 469 दिनांक 07.06.2001 में ईकाई द्वारा निर्मित उत्पादन में एडीबल ऑयल व ऑयल केक भी जोड़ दिया गया तथा दिनांक 11.06.2002 को खाली टिन, जार, बोतल एवं बोतल फिलिंग उत्पाद बताते हुये कर मुक्ति प्रमाण पत्र संख्या 1/51 जारी किया गया। समिति के सचिव ने हांलाकि पत्र में खाद्य तेल व खल शब्द जोडे गये है परन्तु छानबीन समित द्वारा इन उत्पादों पर लाभ स्वीकृत नहीं किया गया था। कर मुक्ति प्रमाण पत्र मात्र खाली टिन, जार, बोतल एवं बोतल फिलिंग उत्पाद बाबत् था। वाणिज्यिक कर विभाग ने खाद्य तेल एवं खल पर कोई लाभ नहीं दिया परन्तु कम्पनी द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत करने पर पत्र दिनांक 19.06.2004 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि ईकाई को बोतल फिलिंग (स्वयं द्वारा निर्मित खाद्य तेल) पर योजना के अन्तर्गत लाभ देय है

लगातार.........9

जिसके क्रम में कर मुक्ति प्रमाण पत्र में शब्द बोतल फिलिंग के आगे कोष्ठक में (स्वयं द्वारा निर्मित खाद्य तेल) जोडा गया है। उपरोक्त स्पष्टीकरण या संशोधन का यह आशय है कि ईकाई यदि टिन, जार या बोतल में स्वयं द्वारा निर्मित खाद्य तेल भरकर विक्रय करती है तो इस पैकिंग मैटेरियल पर भी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लाभ देय है परन्तु इसका अर्थ किसी भी कल्पना में यह नहीं लिया जा सकता कि इस पैकिंग मैटेरियल टिन, जार या बोतल में भरे गये खाद्य तेल या खल पर भी लाभ देय है। ईकाई को पैकिंग मैटेरियल में भरे गये खाद्य तेल या खल पर लाभ देय हो ही नहीं सकता था क्योंकि योजना में इस बाबत् स्पष्ट प्रावधान था कि विविधीकरण के अन्तर्गत लाभ मात्र नये व अलग उत्पादन पर ही देय है। ईकाई स्वयं द्वारा उपरोक्त स्पष्टीकरण एवं संशोधन का गलत अर्थ निकाल कर लाभ लिया है। हांलाकि इस पत्र एवं संशोधन पर विवाद होने के कारण इसे विभाग द्वारा विद्ड्रा भी कर लिया गया है।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि एक बार स्वीकृत किये गये लाभ को भूतकालिक प्रभाव से निरस्त नहीं किया जा सकता जिससे कर निर्धारण अधिकारी का आदेश विधिसम्मत नहीं माना है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने समस्त तथ्यों का गलत आंकलन किया है क्योंकि व्यवहारी कम्पनी को ऐसा कोई लाभ स्वीकृत ही नहीं किया गया था तथा स्पष्टीकरण या संशोधन का तात्पर्य भी यह नहीं था कि ईकाई को पैकिंग मैटेरियल में भरे गये खाद्य तेल या खल पर लाभ देय है। ईकाई को पैकिंग मैटेरियल में भरे गये खाद्य तेल या खल पर लाभ देय हो ही नहीं सकता था क्योंकि योजना में इस बाबत् स्पष्ट प्रावधान था कि विविधीकरण के अन्तर्गत लाभ मात्र नये व अलग उत्पादन पर ही देय है।

13. इस प्रकरण में विद्वान अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों पर विचार किया जाता है। न्यायिक दृष्टांत सिघांनिया ऑयल मिल्स व मारूति नन्दन के प्रकरणों के माननीय उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि एक बार लाभ लिये जाने के पश्चात उसे कम नहीं किया जा सकता। इस न्यायिक दृष्टांतो के प्रकरण में डी.एल.एस.सी ने व्यवहारियों को दिये गये 75 प्रतिशत लाभ को 60 प्रतिशत कर दिया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने विधिसम्मत नहीं माना है। विचाराधीन प्रकरण में डी.एल.एस.सी ने ऐसा कोई लाभ स्वीकृत ही नहीं किया था व न ही वापिस लिया है। न्यायिक दृष्टांत बिडला जूट एवं इण्डस्ट्री बनाम स्टेट ऑफ एम.पी में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह ठहराया है कि जिला उद्योग केन्द्र व्यवहारी के प्रमाण पत्र को समयावधि समाप्त होने व लिये गये लाभ के लम्बे

लगातार..........10

समय पश्चात् बिना किसी कारण के रिव्यु नहीं कर सकता। विचाराधीन प्रकरण के तथ्य भी इस न्यायिक दृष्टांत से भिन्न है क्योंकि विचाराधीन प्रकरण में डी.एल.एस. सी ने प्रमाण पत्र को रिव्यु या निरस्त नहीं किया है। न्यायिक दृष्टांत 2002(139)ईएलटी 3 (एस.सी), 2002(139)ईएलटी 6 (एस.सी) व 37 टियूडी 286 में यह ठहराया गया है कि यदि राजस्व की ओर से किसी परिपत्र का अर्थ स्पष्ट किया गया है तो विभाग उसे मानने के लिये बाध्य है। विचाराधीन प्रकरण के तथ्य इन न्यायिक दृष्टांतो से भिन्न है क्योंकि विभाग ने ऐसा कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया था जिससे यह अर्थ निकलता हो कि ईकाई को पैकिंग मैटेरियल में भरे गये खाद्य तेल पर लाभ देय है बल्कि जो स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया था उसका अर्थ यह था कि यदि ईकाई पैकिंग मैटेरियल में स्वयं द्वारा निर्मित खाद्य तेल भरकर विक्रय करती है तो भी ऐसे पैकिंग मैटेरियल पर भी प्रोत्साहन योजना का लाभ देय है। इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टांतों के प्रकरण भी विचाराधीन प्रकरण से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण में लागू नहीं माने जा सकते।

13. जहां तक रिमाण्ड प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्णय पारित करने के कारण यह अपील निषप्रभावी होने का बिन्दू है, इस संबंध में अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश में कर निर्धारण अधिकारी को टर्नओवर टैक्स के बिन्दू पर अन्तर्राज्यीय बिक्री को कम किया जाकर कर एवं ब्याज में संशोधन किये जाने के आदेश दिये है जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 25.11.2009 द्वारा निर्देशानुसार संशोधन किया है। अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा खाद्य तेल पर लिये गये लाभ पर आरोपित कर को अपास्त किया था, जिसके विरुद्ध राजस्व पक्ष द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है, जिस पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय पारित किया जाना विधिसम्मत है। हां, यदि अपीलीय अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण नये सिरे से निर्णय हेतु बिना किसी दिशा निर्देश के प्रतिप्रेषित किया जाता व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नये सिरे से आदेश पारित कर दिया जाता तो इस अपील के निष्प्रभावी होने के संबंध में तर्क विचारणीय हो सकता था। इस प्रकार यह अपील इस आधार पर खारिज नहीं हो सकती कि प्रतिप्रेषित प्रकरण में निर्णय पारित हो चुका है।

14. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय

दिनांक 28.09.2007 निरस्त किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 30.03.2007 यथावत रखा जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

(नत्थूराम)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष